[2019] 11 एस. सी. आर. 444

गंगा विशन गुजराती और ओआरएस।

वी.

राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

(2019 की सिविल अपील संख्या 6007)

21 अगस्त, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

राजस्थान भूमि राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम 1957-आरआर। 17 - ए, 284,347-ए और 347-बी-राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम 1960-राजस्थान सेवा (पिछले वर्षों की रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 1972-राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम 2001-राज्य ने विभागीय परीक्षा/सीमित परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी किया। भूमि अभिलेख निरीक्षक (एल. आर. आई.) के पद पर प्रतियोगी परीक्षा-वर्ष 2008-09,2009-10 और 2010-11 से संबंधित रिक्तियां-16.05.2013 पर, अपीलार्थी विभागीय परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उन्हें सफल घोषित किया गया-के अनुसार

अपीलार्थियों ने दावा किया कि इस तथ्य के बावजूद कि भर्ती वर्ष 2010-11 था, उनके नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किए गए थे-इसके बाद, अपीलार्थियों को वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया था-हालांकि, अपीलार्थियों ने दावा किया

कि वरिष्ठता सूची में उन्हें उन रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किए गए व्यक्तियों से नीचे रखा गया था जो रिक्तियों के वर्ष के बाद उत्पन्न हुए थे जिनके विरुद्ध अपीलकर्ताओं को पदोन्नत किया गया था-इसके बाद, राज्य ने एक आदेश पारित किया जिसमें अपीलकर्ताओं को वरिष्ठता सूची से हटाने और उन्हें 2014-15 में नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया था-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि रिक्तियों के संचय की तारीख के संदर्भ में वरिष्ठता का दावा केवल इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं होगा कि उन वर्षों में कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी जिनमें रिक्तियां उत्पन्न हुईं-अपील पर कहा गया: 1957 के नियमों के बीच परस्पर क्रिया का अधिक विशेष रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक है। 171 - 1960, 1972 और 2001 के नियमों के साथ ए, 347-ए और 347-बी-उच्चतम न्यायालय की एक सुसंगत मिसाल इस सिद्धांत का पालन करती है कि किसी कर्मचारी को उस तारीख से पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है जब कर्मचारी का जन्म किसी अन्य तिथि पर नहीं हुआ था।

444 गंगा विशन गुजराती बनाम। राजस्थान राज्य

ग्रेड में प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से गिना गया-उद्घाटन आर के शब्द। 347 - ए, 1960 के नियमों में निहित प्रावधान होंगे

रास्ता छोड़ना होगा और आर के अधीन होना होगा। 171 - ए (2) जिसके लिए प्रावधान किया गया था निरंतर कार्यपालन के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण -

आर का चेहरा। 171 - ए (2) जैसा कि यह संशोधन से पहले था, वर्ष के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक मानित तिथि लागू करना संभव नहीं है।

रिक्तियों की संख्या - r.171-ए (2) प्रभाव से वरिष्ठता के अनुदान को खारिज करता है।

कैडर पर कर्मचारी के जन्म की तारीख से पहले की तारीख तक-आर. 347-बी को एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ प्रस्तुत किया जाता है -

नतीजतन, सेवा की शर्तें जो नियमों द्वारा शासित होती हैं

आर की प्रविष्टियों में संदर्भित। 347 - बी इसके बावजूद शासन करेगा 1957 के नियमों में कुछ भी निहित है-उनमें से एक प्रविष्टि है

1972 के नियमों से संबंधित - 1972 के नियमों का आर. 2 ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां भर्ती को विनियमित करने वाला एक सेवा नियम "

प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा भर्ती "-जबकि, भर्ती यू/सी. एल. ((i) और (ii) r का। 284 1957 के नियमों से है

वरिष्ठता-सह-योग्यता और प्रतियोगी विभागीय परीक्षा

वर्तमान मामला, प्रत्यक्ष रूप से आर। 284 1957 के नियमों का प्रावधान उस श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि सेवा नियम का अभाव है।

प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती की आवश्यकता

द.

1972 नियम लागू नहीं होते हैं-इसलिए, r.347-1957 के नियमों का B

अपीलार्थियों की सहायता के लिए नहीं आएगा-जहां तक 2001 के नियमों का संबंध है

संबंधित हैं, 2001 के भाग V में भर्ती की प्रक्रिया

नियम त्वरित पदोन्नति के लिए एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी स्थिति को नहीं समझते हैं-जहां एक सीमित

त्वरित पदोन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है। 35 2001 के नियम शासी पदोन्नति का कोई अनुप्रयोग नहीं है

इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

न्यायसंगत था और कानून के सिद्धांतों के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय।

राज्य ने एक आयोजन के लिए एक विज्ञापन जारी किया

भूमि अभिलेख निरीक्षक के पद पर विभागीय परीक्षा

(एलआरआई)। वर्ष 2008-09,2009-10 और से संबंधित रिक्तियां

2010-11 . 16.05.2013 पर, अपीलार्थी इसके लिए उपस्थित हुए

विभागीय परीक्षा दी गई और उन्हें सफल घोषित किया गया।

इसके बाद, 80 प्रतिशत वरिष्ठता-सह-योग्यता के लिए नियुक्ति आदेश

रिक्तियां 2012 में जारी की गई थीं, जबकि 20 प्रतिशत [2019] 11 एस. सी. आर. के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतियोगी परीक्षा रिक्तियां 31 मार्च 2014 को जारी की गई थीं। 7.11.2013 पर, एक अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें अपीलार्थियों को शामिल नहीं किया गया था। 24.4.2017 पर, 1.4.2014 पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक और वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। अपीलार्थियों ने दावा किया कि उन्हें उन व्यक्तियों से नीचे रखा गया था जिन्हें रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नत किया गया था जो रिक्तियों के वर्ष के बाद उत्पन्न हुए थे जिसके खिलाफ अपीलार्थियों को पदोन्नत किया गया था। इसके बाद, राज्य ने अपीलार्थियों को वरिष्ठता सूची से हटाने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया और उन्हें 2014-15 में निर्धारित के रूप में व्यवहार करना। पीड़ित, अपीलकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की। अपीलकर्ताओं ने गणना की मांग की

वरिष्ठता उस वर्ष के आधार पर जिसमें उनकी रिक्तियां उत्पन्न हुईं। रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि रिक्ति के संचय की तारीख के संदर्भ में वरिष्ठता का दावा केवल इस आधार पर बनाए नहीं रखा जाएगा कि जिन वर्षों में रिक्तियां उत्पन्न हुईं, उनमें कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. राजस्थान भूमि राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम 1957 के बीच परस्पर क्रिया का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

विशेष रूप से, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम 1960 के साथ नियम 171-ए, 347-ए और 347-बी, राजस्थान सेवा (पिछले वर्षों की रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 1972 और राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम 2001। 1957 के नियमों के नियम 347-ए और 347-बी को 22 सितंबर 1977 को संशोधन द्वारा पेश किया गया था। नियम 347-ए में कहा गया है कि वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और अन्य

सेवा की शर्तों को नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर कई प्रविष्टियों में संशोधित किया जाता है। इनमें सेवा की सामान्य शर्तों को निर्धारित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए अन्य नियम भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग द्वारा 1960 के नियमों में कोई अन्य सामान्य आदेश या संशोधन उत्परिवर्तन को लागू करने के लिए है जब तक कि सरकार द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है। हालांकि, नियम 347-ए इंगित करता है कि गणना किए गए नियमों के प्रावधानों का ओवरराइडिंग प्रभाव नहीं है क्योंकि शुरुआती शब्दों में "गंगा विशन गुजराती v को छोड़कर" वाक्यांश होता है।

अन्यथा इन नियमों में प्रावधान किया गया है। जहां 1957 के नियमों में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, वह प्रबल होगा। [पैरा 24]

[473 - डी-एफ]

2. नियम 347-ए में विचार किया गया है कि सेवा की शर्तें नियमों में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी।

गणना की गई (1960 के नियमों सहित) जब तक कि 1957 के नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो। नियम 171-ए एक ऐसा प्रावधान था जिस पर विचार किया गया था

नियम 347-ए के प्रारंभिक शब्दों से। अक्टूबर 2014 में जब तक इसमें संशोधन नहीं किया गया, तब तक नियम 171-ए (2) में विशेष रूप से विचार किया गया था कि एल. आर. आई. की वरिष्ठता भूमि अभिलेख विभाग या किसी अन्य समकक्ष पद पर उनके निरंतर कार्य करने की तारीख से निर्धारित की जाएगी, बशर्ते कि ऐसा कार्य आकस्मिक या तदर्थ प्रकृति का न हो। संशोधन के बाद, नियम 171-ए में विचार किया गया है कि निरीक्षकों की वरिष्ठता पदोन्नति के भर्ती वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह संशोधन अक्टूबर 2014 में प्रभावी हुआ।

[पैरा 26] [474-डी-एफ]

3. अपीलार्थियों के वकील का यह कहना उचित है कि 1957 के नियमों में विशेष रूप से एक प्रावधान नहीं किया गया था -

रिक्तियों का वर्षवार निर्धारण और ऐसा प्रावधान 1960 के नियमों में सन्निहित था। इस निवेदन के अनुक्रम (जैसा कि वकील ने इसे चित्रित किया है) को स्वीकार करने में कठिनाई इस तथ्य में निहित है कि इसके संशोधन से पहले नियम 171-ए (2) ने स्पष्ट रूप से निरंतर कार्यपालन के सिद्धांत को आधार के रूप में शामिल किया था।

विशेष रूप से नियम 171-ए (2) में सन्निहित, 1960 के नियमों में निहित इसके विपरीत किसी भी प्रावधान द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि नियम 347-ए स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि जहाँ 1957 के नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान निहित है, वह प्रावधान शासन करेगा। [पैरा 27] [474-जी-एच; 475-ए]

4. 2001 के नियमों के भाग IV में नियम 22 से 33 तक सीधी भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भाग V प्रदान करता है कि

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया। नियम 13 में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के निर्धारण की आवश्यकता होती है। जहाँ किसी पद को एक ही विधि से भरा जाता है, वहाँ निर्धारित रिक्तियों को उस विधि से भरा जाएगा। जहाँ एक से अधिक विधि [2019] 11 एस. सी. आर. है।

निर्धारित पदों को रिक्तियों के विभाजन द्वारा भरा जाता है। नियम 35 उन पदोन्नति पर लागू होता है जो नियम 34 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती हैं। नियम 35 (6) समिति से उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने की अपेक्षा करता है जो

त्वरित पदोन्नति के लिए परीक्षा। [पैरा 29] [476-डी-जी] 5. यह 2001 के नियमों के भाग 5 से स्पष्ट है, विशेष रूप से, नियमों में निहित पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियम।

34 और 35 कि नियम 35 (6) में परिकल्पित कल्पना डी. पी. सी. के तत्वावधान में की गई पदोन्नति पर लागू होती है। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि डी. पी. सी. के उस वर्ष के बाद आयोजित किए जाने के संदर्भ में लागू होने वाली काल्पनिक धारणा का उन उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन नहीं है जिन्हें त्वरित पदोन्नति के अनुदान के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती किया जाता है। एक मौलिक कारण है कि क्यों काल्पनिक कल्पना को स्थिति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

नियम 284 (ii) में निहित। नियम 284 (ii) द्वारा परिकलित प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए, एक उम्मीदवार को नियम 286 में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। नियम 286 यह निर्धारित करता है कि सेवाकालीन पटवारियों के पास न्यूनतम सेवा होनी चाहिए

पाँच साल पहले वे प्रतिस्पर्धी में दिखाई दे सकते हैं

नियम 284 (ii) के तहत परीक्षा। मानित वरिष्ठता के सम्मेलन के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक उम्मीदवार एक पूर्व तिथि से वरिष्ठता प्राप्त करता है जिस पर वह न तो संवर्ग में पैदा हुआ था और न ही योग्य था। इस तरह का परिणाम कम से कम उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में यह अस्वीकार्य होगा। [पैरा 30] [477-बी, ई-एच] गंगा विशन गुजराती बनाम।

6. इस न्यायालय की एक सुसंगत मिसाल इस सिद्धांत का पालन करती है कि किसी व्यक्ति को पूर्वव्यापी वरिष्ठता प्रदान नहीं की जा सकती है। उस तारीख से कर्मचारी जब कर्मचारी का जन्म किसी संवर्ग में नहीं हुआ था। समान श्रेणी के सदस्यों के बीच वरिष्ठता को श्रेणी में प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से गिना जाना चाहिए। [पैरा 31]

[478 - ए-बी]

7. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय ने वरिष्ठता के सिद्धांत को निर्धारित करने के संदर्भ में 1960 के नियमों की प्रयोज्यता के मुद्दे पर विचार किया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नियम 347-ए के प्रारंभिक शब्दों को ध्यान में रखते हुए,

1960 नियमों को रास्ता छोड़ना होगा और नियम 171 ए (2) के अधीन होना होगा जो निरंतर कार्य के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रदान किया गया था। नियम 171-ए (2) के बावजूद, जैसा कि यह संशोधन से पहले था, रिक्ति के वर्ष के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक मानित तिथि लागू करना संभव नहीं है। नियम 171 ए (2) कर्मचारी के संवर्ग में जन्म लेने की तारीख से पहले की तारीख से वरिष्ठता के अनुदान को खारिज करता है।

[पैरा 34] [480-एफ-जी]

8. लेकिन अब जिस प्रस्तुति का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इसके अनुप्रयोग से कोई अलग परिणाम सामने आएगा। 1957 के नियमों के नियम 347-बी। नियम 347-बी की शुरुआत एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ की गई है। नतीजतन, सेवा की शर्तें जो नियम 347 बी की प्रविष्टियों में निर्दिष्ट नियमों द्वारा शासित होती हैं, वे 1957 के नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद शासित होंगी। उनमें से 1972 के नियमों से संबंधित एक प्रविष्टि है। इसलिए, 1972 के नियमों की प्रयोज्यता पर विचार करना आवश्यक है। 1972 के नियमों के एक सादे अध्ययन से संकेत मिलता है कि वे एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करते हैं जहां भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है और डी. पी. सी. की सिफारिश के अभाव में पदोन्नति कोटा नहीं भरा जाता है। 1972 के नियमों का नियम 2 अपनी शर्तों पर वर्तमान जैसी स्थिति पर लागू नहीं होता है जो 1957 के नियमों के नियम 284 द्वारा शासित है। के तहत

नियम 284, कोई सीधी भर्ती नहीं है। 1972 के नियमों का नियम 2 ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां एक सेवा नियम विनियमित होता है।

भर्ती "प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा भर्ती का प्रावधान करती है"। वर्तमान मामले में, 1957 के नियमों का नियम 284 उस श्रेणी में आने वाला प्रावधान नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष [2019] 11 एस. सी. आर. द्वारा भर्ती की आवश्यकता वाले सेवा नियम का अभाव है।

भर्ती और पदोन्नति। 1972 के नियम लागू नहीं होते हैं। इसलिए 1957 के नियमों का नियम 347-बी अपीलार्थियों की सहायता के लिए नहीं आएगा। [पैरा 35] [480-एच; 481-ए-एफ]

प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग अधिकारी संघ v

महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715: [1990] 2 एससीआर 900

- पीछा किया।

बिहार राज्य बनाम। अखौरी सचिंद्र नाथ (1991) पूरक 1 एससीसी

334 : [1991] 2 एस. सी. आर. 410; उत्तरांचल राज्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा (2007) 1 एससीसी 683: [2006] 10 पूरक। एससीआर 1

; पवन प्रताप सिंह बनाम। रीवेन सिंह (2011) 3 एससीसी 267 : [2011] 2 एससीआर 831; पी सुधाकर राव बनाम। यू गोविंदा राव

(2013) 8 एससीसी 693: [2013] 13 एस. सी. आर. 540-पर निर्भर।

जगदीश प्रसाद बनाम। राजस्थान राज्य (2011) 7 एससीसी

789 : [2011] 12 एससीआर 1-विशिष्ट।

जगदीश सी. पटनायक बनाम। उड़ीसा राज्य (1998) 4 एससीसी 456:

[1998] 2 एस. सी. आर. 676-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 2 एससीआर 676

पै

रा 19 (iv)

संदर्भित किया गया है

[1990] 2 एससीआर 900

पीछा किया।

पै

रा 31

[1991] 2 एससीआर 410

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2006] 10 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2011] 2 एससीआर 831

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[2013] 13 एससीआर 540

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[1998] 2 एससीआर 676

प्रतिष्ठित

पै

रा 32

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 6007

2019 से।

उच्च न्यायालय के 06.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डी. बी. विशेष आवेदन में जोधपुर में राजस्थान के लिए न्यायिक न्यायालय 2018 का लेखन सं. 917।

के साथ

सिविल अपील सं।

6009 , 6008 2019 का गंगा विशाण गुजराती बनाम। राजस्थान राज्य

डॉ. मनीष सिंघवी, पी. एन. मिश्रा, मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हर्षा विनॉय, शैलजा नंदा मिश्रा, सतेंद्र कुमार, मिलिंद कुमार, सुश्री चारू माथुर, हितेंद्र नाथ रथ, रोहित के. सिंह, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. सेवा न्यायशास्त्र के एक परेशान करने वाले मुद्दे पर निर्णय लेते हुए, राजस्थान के उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने एक समूह को अनुमति दी

अपीलों के वर्तमान समूह को जन्म दिया है। चूंकि इसी तरह के मुद्दे उत्पन्न होते हैं, इसलिए सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई। 2. अपीलार्थियों को 21 दिसंबर 1993 को राजस्व विभाग में पटवारियों के रूप में नियुक्त किया गया था। 17 जून 2011 को राजस्थान राज्य द्वारा एक विभागीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था।

भूमि अभिलेख निरीक्षक 1 के पद पर 93 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए परीक्षा। वर्ष 2008-09 और 2009-10 से संबंधित रिक्तियां। 28 जनवरी 2013 के एक नए विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 155 करने की सूचना दी गई, जिसमें 2010-11 के लिए रिक्तियां भी शामिल हैं। 24 दिसंबर 2014 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किए गए एक प्रश्न के जवाब में, 155 रिक्तियों का एक वर्षवार विभाजन प्रदान किया गया था जो दर्शाता है कि:

67 2008-09 में रिक्तियां उत्पन्न हुईं;

26 2009-10 में रिक्तियां उत्पन्न हुईं; और 62 2010-11 में रिक्तियां उत्पन्न हुईं।

3. 16 मई 2013 को, अपीलार्थी विभागीय परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उन्हें एल. आर. आई. के पद के लिए सफल घोषित किया गया। 7 पर

नवंबर 2013 में, 1 अप्रैल 2012 से एक अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। अपीलार्थियों की शिकायत यह है कि हालांकि (उनके प्रस्तुतिकरण में) वे

2008-09,2009-10 और 2010-11 में उत्पन्न रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किए गए थे, उनके नाम अस्थायी वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं थे। 31 मार्च 2014 को, अपीलार्थियों को एलआरआई के रूप में पदोन्नत किया गया था

जिनमें से वे उस पद पर काम कर रहे हैं। 12 मार्च 2015 को, राजस्थान राजस्व बोर्ड 2 ने कलेक्टर को उन व्यक्तियों की सूची तैयार करने के लिए एक संचार जारी किया, जिन्हें वर्ष 2009-10 के लिए रिक्तियों के लिए एलआरआई के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 अप्रैल 2012 तक वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों के नामों का उल्लेख नहीं मिला। 11 जून 2015,6 जुलाई 2015 और 6 अगस्त 2015 को नायब तहसीलदार के पद पर एल. आर. आई. को पदोन्नत करने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें पदोन्नति के वर्ष के खिलाफ एल. आर. आई. के पद पर नियुक्त किया गया था जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुईं। यह 8 अक्टूबर 2014 की एक अधिसूचना के संदर्भ में था, जिसके द्वारा राजस्थान भूमि राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम 1957 3 के नियम 171 ए को एल. आर. आई. के पद पर निरंतर नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता निर्धारित करने के मानदंड को बदलने के लिए संशोधित किया गया था। अपीलार्थी 8 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना के लाभ से इनकार से व्यथित थे। भिन्न व्यवहार से व्यथित होकर, 14 सितंबर 2015 को राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष को अपीलकर्ताओं को मंजूरी देने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था 8 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना का लाभ और उन्हें भर्ती वर्ष की तुलना में वरिष्ठता सूची में रखना। एक अंतिम वरिष्ठता सूची, 1 अप्रैल 2012 को वरिष्ठता की गणना नियम 171-ए (2) के संदर्भ में 12 मई 2016 को जारी की गई थी। अपीलार्थियों के अनुसार, इस तथ्य के बावजूद कि भर्ती वर्ष 2010-11 था, उनके नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं थे।

4. इसके कारण अपीलार्थियों द्वारा एक रिट याचिका की स्थापना की गई

3 " 1957 नियम " 4 एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 6530/2016 गंगा विशाण गुजराती v.

राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जिन्हें 24 अप्रैल 2017 की वरिष्ठता सूची में रखा गया था, उन्हें सूची से हटाने की मांग की गई थी और उन्हें 2014-15 में नियुक्त माना जाने का निर्देश दिया गया था। इसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक बाद की रिट याचिकाओं को जन्म दिया।

5. 19 अप्रैल 2018 के एक निर्णय द्वारा, एकल न्यायाधीश ने 2008-09,2009-10 और 2010-11 के लिए रिक्तियों के खिलाफ 17 जून 2011 और 28 जनवरी 2013 के विज्ञापनों के अनुसार चुने गए अपीलार्थियों सहित उन लोगों की पदोन्नति के वर्ष के संबंध में राज्य की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए रिट याचिका को अनुमति दी। एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि 1957 के नियमों के नियम 284 (2) के तहत सेवारत पटवारियों तक सीमित एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने गए व्यक्ति अपनी पात्रता के अधीन संबंधित वर्षों की रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नत होने के हकदार थे। राज्य को तदनुसार व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था

12 मई 2016 को जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में परिणामी लाभों के साथ पदोन्नति के भर्ती वर्ष के लिए चुना गया।

7. डिवीजन बेंच के फैसले को स्वीकार करते हुए, अपीलकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में इस अदालत का रुख किया। दलीलें पूरी हो चुकी हैं। हमने अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री पारस कुहड़; राजस्थान राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी; वरिष्ठ वकील श्री पी. एन. मिश्रा, वरिष्ठ वकील श्री मनोज स्वरूप और श्री हितेंद्र नाथ रथ, श्री रोहित के. को सुना है।

सिंह और सुश्री प्रतिभा जैन, प्रतिद्वंद्वियों के वकील।

8. अपीलों के वर्तमान समूह में विवाद की प्रकृति को समझने के लिए, सक्षम करने वाले कानूनी प्रावधानों को समझना आवश्यक है।

फ्रेमवर्क। राजस्थान राज्य ने राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 19566 की धारा 261 (2) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों के अनुसरण में भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रावधान निर्धारित किए। इन्हें 1957 के नियमों में शामिल किया गया था। नियम

284 1957 के नियम एल. आर. आई. के पद के लिए चयन के तरीके को नियंत्रित करते हैं। प्रारंभ में चयन की परिकल्पना सीधी भर्ती और वरिष्ठता-सह-योग्यता के माध्यम से की गई थी। बाद में, जैसा कि नीचे बताया गया है, प्रतियोगी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए एक अनुपात निर्धारित किया गया था।

जाँच। इसके बाद सीधी भर्ती को समाप्त कर दिया गया। नियम 284 को समय-समय पर निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया गया था:

1956 "[2019] 11 एस. सी. आर.

22 सितंबर 1977 को इस पद पर भर्ती की जानी थी। प्रत्यक्ष भर्ती (50 प्रतिशत) और वरिष्ठता के आधार पर

सह-योग्यता (50 प्रतिशत);

27 जून 1981 को, वरिष्ठता-सह के माध्यम से पदोन्नति के लिए कोटा

योग्यता को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था; 15 प्रतिशत के माध्यम से होना था

प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से होना था; और 22 अगस्त 1985 को वरिष्ठता-सह-योग्यता के माध्यम से पदोन्नति की गई।

80 प्रतिशत तक बढ़ाया गया, जबकि विभागीय माध्यम से चयन किया जाता है।

पटवारियों की सेवा के लिए परीक्षा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। प्रत्यक्ष भर्ती की श्रेणी को हटा दिया गया था।

284 , जैसा कि संशोधित किया गया है, इस प्रकार है:

" 284. विद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन

संबंधित संवर्ग की ताकत बनाई जाएगी:

(i) राजस्व और भूमि के पटवारियों को बढ़ावा देकर

80 प्रतिशत रिक्तियों के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अभिलेख विभाग;

((ii) एक प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो राजस्व (भूमि अभिलेख) विभाग के सेवारत पटवारियों तक ही सीमित होगी, जो 20 प्रतिशत रिक्तियों के लिए नियम 286 में दी गई पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं। बशर्ते कि ऐसे पटवारियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

नियम 285 के अनुसार बोर्ड को वास्तविक संख्या को अधिसूचित करने की आवश्यकता है -

मुद्राएँ जो सेवारत लोगों में से भर्ती द्वारा भरी जाएंगी

राजस्व (भूमि अभिलेख) विभाग और संख्या

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आवंटित।

286 योग्यता निर्धारित करता है:

" 286. योग्यता-चयन के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए: -

(i) कि वह राजस्व (भूमि अभिलेख) का पटवारिया है।

विभाग के रूप में पाँच साल का सेवा अनुभव है

पटवारी;

((ii) कि उसने माध्यमिक परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा; गंगा विशन गुजराती v.

राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ग) उक्त विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, जनवरी के पहले दिन उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो;

((iv) कि वह पटवार डिप्लोमा धारक है या उसे इससे छूट प्राप्त है।

नियमों के अनुसार यह डिप्लोमा "।

नियम 287 के अनुसार राजस्व के सेवारत पटवारियों में से भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

(भूमि अभिलेख) 1957 के नियमों में निर्धारित तरीके से प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश के लिए विभाग। नियम 288 में आवेदन जमा करने, परीक्षा के लिए विषयों, योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने, स्कूल में प्रवेश करने, आरक्षण, प्रशिक्षण के दौरान वेतन, प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर डिप्लोमा प्रदान करने और परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की सूची बनाए रखने का प्रावधान है। नियम 299 में प्रावधान है कि परिवीक्षा अवधि का एक वर्ष पूरा होने पर, उम्मीदवार पुष्टि के लिए पात्र होंगे। नियम 299 में कहा गया है कि उसी वर्ष के पदोन्नत व्यक्ति उसी वर्ष सेवारत पटवारियों से सीधी भर्ती करने वालों से वरिष्ठ होंगे। नियम 299 में प्रत्यक्ष भर्ती का संदर्भ है, हालांकि प्रत्यक्ष भर्ती का प्रावधान है।

नियम 284 में भर्ती को समाप्त कर दिया गया है।

9. 22 सितंबर 1977 को, नियम 347-ए और 347 वाले भाग 5-ए को लागू करके 1957 के नियमों में एक संशोधन किया गया था।

ख. नियम 347-क इस प्रकार प्रदान करता है:

" 347 - ए. वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन-इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, पटवारियों, निरीक्षकों के वेतन भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें।

भूमि अभिलेख और सदर कानूनगोस द्वारा विनियमित किया जाएगा

समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित नियम:

1. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971;

2. राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान का एकीकरण)

नियम, 1950;

3. राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान को तर्कसंगत बनाना)

नियम, 1956;

4 . राजस्थान सेवा नियम, 1951;

5. राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1961; [2019]

6. राजस्थान सिविल सेवा (नया वेतन) नियम, 1968 7 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सेवा की सामान्य शर्तों को निर्धारित करने वाले कोई अन्य नियम और उस समय के लिए

बल में होना।

8. कार्मिक विभाग द्वारा जारी राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम 1960 में कोई अन्य सामान्य आदेश या संशोधन तब तक लागू होगा जब तक कि कोई

इसके विपरीत आदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

नियम 347-बी इस प्रकार प्रदान करता है:

" 347 - बी कुछ विविध नियमों का अनुप्रयोग। इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, निम्नलिखित नियम पटवारियों, निरीक्षकों, भूमि अभिलेखों और सदर कानूनगो की भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों पर लागू होंगे जैसा कि वे सरकारी कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों पर लागू होते हैं:

1. राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष का अवशोषण)

कार्मिक) नियम, 1969।

2. राजस्थान सिविल सेवा (पर्याप्त नियुक्ति और अस्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण) नियम,

1972 .

3. राजस्थान सेवाएँ (पदोन्नति द्वारा भर्ती)

पहले के वर्षों की रिक्तियां) नियम, 1972 "।

आठ श्रेणियों के तहत गणना किए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा। जिन नियमों की गणना की गई है, उनमें राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और अन्य सेवा शर्तें) नियम 19607 शामिल हैं। कोई भी। 1960 के नियमों में सामान्य आदेश या संशोधन को लागू किया गया है, उत्परिवर्तन। इसके अलावा, प्रविष्टि 7 संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत की गई सेवा की सामान्य शर्तों को निर्धारित करने वाले अन्य नियमों को संदर्भित करता है, जो अभी लागू हैं। नियम 347-ए के प्रारंभिक शब्द गणना किए गए नियमों को विशेष रूप से एक प्रावधान के अधीन लागू करते हैं।

1960 के नियमों में निहित। दूसरी ओर, नियम 347-बी में एक

7 " 1960 नियम "गंगा विशन गुजराती बनाम। राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रमुख प्रावधान जिसके तहत 1957 के नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सेवा की शर्तें कुछ शर्तों द्वारा शासित होंगी।

गणना किए गए नियम। इनमें राजस्थान सेवा (पिछले वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 19728 शामिल हैं।

11. एक महत्वपूर्ण अंतर जो नियम 347-ए और नियम 347-बी के बीच देखा जाना चाहिए, उनके प्रारंभिक शब्दों में निहित है। नियम 347-ए "इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है। नियम 347-बी "किसी भी चीज के बावजूद" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है।

चाहे 1957 के नियमों के अन्य प्रावधानों में क्या निहित हो। इसे अलग तरह से कहने के लिए, 1957 के नियमों के नियम 347 ए में सूचीबद्ध नियमों को 1960 के नियमों में निहित प्रावधानों के अधीन कर दिया गया है। दूसरी ओर, 1957 के नियमों के नियम 347-बी में निर्दिष्ट नियमों का निहित किसी भी अन्य प्रावधान पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। 1957 के नियमों में। यह स्पष्ट परिणाम है जो नियम 347-ए में "इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर" अभिव्यक्ति के उपयोग से उत्पन्न होता है, जो नियम 347-बी में "इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद" अभिव्यक्ति से अलग है। पहला अधीनता का संकेत है। बाद वाला ओवरराइडिंग प्रभाव का संकेत है।

12. अब प्रविष्टियों में बताए गए नियमों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

7 और 1957 के नियमों के नियम 347-ए का 8।

13. 1960 के नियम उन पदों के अलावा राज्य के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए थे, जिनके बारे में अलग सेवा नियम जारी किए गए थे या जारी किए जाएंगे। नियम 9 में नियुक्ति करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को रिक्तियों के वर्षवार निर्धारण का प्रावधान किया गया है। 1960 के नियमों के नियम 9 में इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

" 9. रिक्तियों का निर्धारण: - (1) (क) प्रावधानों के अधीन इन नियमों में से, नियुक्ति प्राधिकरण हर साल 1 अप्रैल को रिक्तियों की वास्तविक संख्या निर्धारित करेगा।

वित्तीय वर्ष।

उस तरीके से। (ग) जहाँ एक पद को एक से अधिक तरीकों से भरा जाना है -

उपरोक्त खंड (क) के तहत निर्धारित ऐसी प्रत्येक पद्धति के लिए रिक्तियों को पहले से भरे गए पदों की कुल संख्या के लिए निर्धारित अनुपात को बनाए रखते हुए किया जाएगा। यदि रिक्तियों का कोई अंश ऊपर निर्धारित तरीके से रिक्तियों के विभाजन के बाद बचा रहता है, तो उन्हें निरंतर चक्रीय क्रम में निर्धारित विभिन्न तरीकों के कोटे में विभाजित किया जाएगा। पदोन्नति कोटा को प्राथमिकता।

(2) नियुक्ति प्राधिकरण रिक्तियों का निर्धारण भी करेगा।

पूर्ववर्ती वर्षों की वर्षवार जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने की आवश्यकता थी, यदि ऐसी रिक्तियों का निर्धारण और उन्हें पहले नहीं भरा गया था।

जिस वर्ष उन्हें भरा जाना आवश्यक था।

14. 2 मार्च 2001 को राजस्थान अधीनस्थ सेवाएँ

सेवानिवृत्ति और अन्य सेवा शर्तें) नियम 2001 को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत अधिसूचित किया गया था। 2001 के नियम 13 में नियुक्ति प्राधिकरण से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को रिक्तियों का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है:

" 13. रिक्तियों का निर्धारण: - (1) इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, नियुक्ति प्राधिकरण हर साल 1 अप्रैल को निर्धारित करेगा,

वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियां।

(2) जहाँ किसी पद को नियम या अनुसूची में निर्धारित एक ही विधि से भरा जाना है, वहाँ इस प्रकार निर्धारित रिक्तियां -

उस विधि से भरा जाता है।

(3) जहां किसी पद को नियमों या अनुसूची में निर्धारित एक से अधिक तरीकों से भरा जाना है, वहां उपरोक्त उप-नियम (1) के तहत निर्धारित रिक्तियों का विभाजन ऐसी प्रत्येक विधि के लिए समग्र रूप से निर्धारित अनुपात को बनाए रखते हुए किया जाएगा।

पहले से भरे हुए पदों की संख्या। यदि रिक्तियों का कोई अंश बचा है, तो रिक्तियों के बंटवारे के बाद ऊपर निर्धारित, उसी को कोटा के लिए विभाजित किया जाएगा

1 नियम "गंगा विशन गुजराती बनाम। राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

निरंतर चक्रीय क्रम में निर्धारित विभिन्न विधियाँ

पदोन्नति कोटा को प्राथमिकता। (4) नियुक्ति प्राधिकरण पिछले वर्षों के वर्षवार रिक्तियों का भी निर्धारण करेगा जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था, यदि ऐसी रिक्तियों का निर्धारण और उन्हें पहले नहीं भरा गया था।

जिस वर्ष उन्हें भरा जाना आवश्यक था।

1960 के नियमों के नियम 9 (1) (सी) और 2001 के नियमों के नियम 13 में पदोन्नति की प्रत्येक विधि के बीच रिक्तियों को विभाजित किया जाना है। 9 (2) पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के नियम 13 (4) में पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों को कम करने की आवश्यकता होती है जिनकी आवश्यकता थी -

पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जाता है, जिस वर्ष रिक्तियां हैं

डी भरा गया है।

नियम 35 के लिए पात्रता, मानदंड और प्रक्रिया की बात करता है

अन्य। नियम 35, जहाँ तक सामग्री है, इस प्रकार है:

" 35. पदोन्नति के लिए पात्रता, मानदंड और प्रक्रिया: -

(1) जैसे ही नियुक्ति प्राधिकरण ने संख्या निर्धारित की

इन नियमों के नियम 13 के तहत रिक्तियों की संख्या और यह निर्णय लेते हुए कि एक निश्चित संख्या में पदों (पदों) को पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक है, यह उप-नियम (4) के प्रावधानों के अधीन होगा, वरिष्ठतम व्यक्तियों की एक सही और पूरी सूची तैयार करेगा जो इसके तहत पात्र और योग्य हैं।

ये नियम संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए हैं।

(2) अनुसूची के कॉलम 6 में गिने गए व्यक्ति होंगे

कॉलम 4 में उनके खिलाफ निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र

चयन के वर्ष के अप्रैल महीने के पहले दिन न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने के अधीन

कॉलम 7 में निर्दिष्ट।

(6) इन नियमों की घोषणा के बाद, यदि कोई बाद का वर्ष हो

किसी भी पिछले वर्ष से संबंधित रिक्तियों का निर्धारण नियम 14 के तहत किया जाता है जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था, समिति ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में पात्र होता जिसके लिए रिक्तियों से संबंधित रिक्तियां, उस वर्ष की परवाह किए बिना जिसमें समिति की

बैठक आयोजित की जाती है और ऐसी पदोन्नति पदोन्नति के लिए मानदंड और प्रक्रिया द्वारा शासित होगी जो उस विशेष वर्ष में लागू थी जिसमें रिक्तियां [2019] 11 एस. सी. आर.

संबंधित और एक पदधारी की सेवा/अनुभव जिसके पास है इस प्रकार पदोन्नत किया गया, किसी के लिए उच्च पद पर पदोन्नति के लिए

वह अवधि जिसके दौरान उसने वास्तव में प्रदर्शन नहीं किया है उस पद के कर्तव्य जिन पर वह होता

पदोन्नत किया जाएगा, गिना जाएगा। एक व्यक्ति का वेतन जो इस प्रकार पदोन्नत किए जाने पर उसे उस वेतन पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा जो उसे मिलता है।

उसकी पदोन्नति के समय प्राप्त हुआ होगा लेकिन नहीं उसे बकाया वेतन की अनुमति दी जाएगी।

(जोर दिया गया)

2001 के नियमों के नियम 13 के तहत, नियुक्ति प्राधिकरण को

प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या निर्धारित करें। जब किसी पद को एक से अधिक तरीकों से भरा जाता है, तो रिक्तियों को निर्धारित अनुपात बनाए रखते हुए ऐसी प्रत्येक विधि के लिए विभाजित किया जाना चाहिए। जिन रिक्तियों को पहले के वर्षों में पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था, लेकिन जिन्हें पहले निर्धारित और भरा नहीं गया था, उन्हें भी इसी तरह भरा जाना आवश्यक है - तय किया। नियम 35 (2) के तहत, पदोन्नति के लिए पात्रता को चयन के वर्ष के अप्रैल के पहले दिन न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। नियम 35 के उप-नियम (6) के तहत, जहां पिछले वर्ष की रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने की आवश्यकता के रूप में निर्धारित किया जाता है, समिति को ऐसे सभी व्यक्तियों पर विचार करने का आदेश दिया गया है जो उस वर्ष में पात्र होते, जिसमें रिक्तियां संबंधित होती हैं, चाहे वह बैठक किसी भी वर्ष में हो। पदोन्नति के लिए मानदंड और प्रक्रिया उस वर्ष के लिए लागू होगी जिस वर्ष रिक्ति संबंधित है। उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है, उसकी सेवा या अनुभव को किसी भी अवधि के लिए उच्च पद पर पदोन्नति के लिए गिना जाएगा, जिसके दौरान उम्मीदवार ने वास्तव में पद के कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। जबकि पदोन्नत व्यक्ति का वेतन फिर से तय किया जाएगा, वेतन का कोई बकाया देने की आवश्यकता नहीं है।

15. 1957 के नियमों के नियम 347-बी में एक संदर्भ है -

1972 नियम। 1972 के नियमों में छह नियम शामिल थे, जो नीचे दिए गए हैं:

" 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को राजस्थान सेवा कहा जा सकता है।

(पिछले वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम, 1972।

गंगा विशन गुजराती बनाम। राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(2) वे तुरंत लागू हो जाएंगे।

2. जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत की गई भर्ती और सेवा की शर्त को विनियमित करने वाला एक सेवा नियम, सीधी भर्ती और दोनों द्वारा भर्ती का प्रावधान करता है।

पदोन्नति और जहां सेवा से संबंधित नियम के तहत नियुक्त विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अभाव में किसी भी पिछले वर्ष का पदोन्नति कोटा नहीं भरा जा सका, तो नियुक्ति प्राधिकरण उन रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने की आवश्यकता थी।

4. जब नियुक्ति प्राधिकारी नियम 3 के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां करता है, तो वह उस वर्ष को निर्दिष्ट करेगा जिसमें ऐसी पदोन्नति की गई मानी जाएगी। 5. जहां पदोन्नति कोटे में उस वर्ष से पहले कोई रिक्ति थी जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की गई थी, वहां नियुक्ति अधिकारी उस वर्ष को निर्दिष्ट करके नियुक्ति आदेश में संशोधन करेंगे जिसमें ऐसी पदोन्नति की गई मानी जाएगी।

नियम 5 के तहत पदोन्नति, जिस व्यक्ति को इस तरह से पदोन्नत किया गया है, वह किसी भी अवधि के लिए वेतन के किसी भी बकाया का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जिसके दौरान उन्होंने वास्तव में उस पद के कर्तव्यों का पालन नहीं किया है जिस पर उन्हें पदोन्नत किया गया है। "[2019] 11 एस. सी. आर.

नियम 2 एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जिसमें भर्ती और शर्तों को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए सेवा नियम

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकरण को उन रिक्तियों का निर्धारण करना होता है जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था। इसके बाद, डी. पी. सी. को रिक्तियों की संख्या और वर्ष निर्दिष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने के तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिश करनी होती है। नियुक्ति प्राधिकारी को तब नियम 2 में निर्दिष्ट वर्ष के लिए प्रासंगिक पदोन्नति कोटा रिक्तियों में पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां करने की आवश्यकता होती है। पदोन्नति द्वारा नियम 3 के तहत नियुक्ति करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी को उस वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा जिसमें पदोन्नति की गई मानी जाएगी। नतीजतन, जहां एक रिक्ति मौजूद थी

किसी पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नति कोटे में, उस वर्ष से पहले जिसमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति प्राधिकारी को उस वर्ष को निर्दिष्ट करना होता है जिसमें पदोन्नति की गई मानी जाएगी। हालाँकि, ऐसे मामले में, उस अवधि के लिए वेतन का कोई बकाया देय नहीं है जिसके दौरान नियुक्त उम्मीदवार ने काम नहीं किया है।

16. प्रासंगिक प्रावधानों के विवरण को पूरा करने के लिए, 1957 के नियमों के नियम 171-ए के लिए एक संदर्भ आवश्यक है। वरिष्ठता के साथ। नियम 171-ए, जहां तक इसके संशोधन से पहले की सामग्री है, उसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

" 171 - ए. वरिष्ठता। - (1) विभिन्न जिलों में काम करने वाले निरीक्षकों की वरिष्ठता, भूमि अभिलेख को राजस्व बोर्ड द्वारा आपस में जोड़ा जाएगा और सचिव (भूमि अभिलेख) राजस्व बोर्ड निरीक्षकों, भूमि की वरिष्ठता की अद्यतन सूची बनाए रखेगा।

विभाग में काम करने वाले अभिलेख।

(2) भूमि अभिलेख विभाग में भूमि अभिलेख निरीक्षक और/या निपटान/समेकन/उपनिवेशीकरण विभाग या किसी अन्य विभाग में भूमि अभिलेख निरीक्षक के पद पर उनके निरंतर कार्यपालन की तारीख से भूमि अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। ऐसे विभागों में अन्य समकक्ष पद बशर्ते कि इस तरह का कार्यपालन आकस्मिक या तदर्थ प्रकृति का न हो और इस शर्त के अधीन हो कि उनके पास गिरदावड़ उत्तीर्ण करने का डिप्लोमा हो।

कानूनगो परीक्षा.. "

10 " डी. पी. सी. "गंगा विशाण गुजराती बनाम। राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

8 अक्टूबर 2014 को अधिसूचित एक संशोधन द्वारा,

2 नियम 171-ए के स्थान पर इस प्रकार पढ़ा गया है:

" (2) भूमि अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति के भर्ती वर्ष के आधार पर किया जाएगा -

भूमि अभिलेख विभाग में भूमि अभिलेख निरीक्षक और उपनिवेशीकरण विभाग के निपटान विभाग में निरीक्षक

और समेकन विभाग "।

17. अब, यह इस पृष्ठभूमि में है कि प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से उभरता है।

इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया है।

18. श्री पारस कुहाड़, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो उनकी ओर से पेश हुए

अपीलकर्ताओं ने इस प्रकार प्रस्तुत किया:

((i)

उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय दिनांकित

6 अगस्त 2018 'प्रतियोगी परीक्षा मार्ग' द्वारा चयनित अपीलार्थियों को रिक्ति के वर्ष के आधार पर एल. आर. आई. के पद पर वरिष्ठता का लाभ देने से इनकार करता है, हालांकि जिन व्यक्तियों को वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया गया है, उन्हें वरिष्ठता प्रदान की गई है।

रिक्ति का वर्ष;

हालांकि रिक्तियां वर्षों में उत्पन्न हुईं 2008-09,2009-10 और

((ख)

2010-11 एल. आर. आई. के पद पर चयन समय पर नहीं हुआ था। इन रिक्तियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के लिए 80 प्रतिशत और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 20 प्रतिशत के अनुपात में भरा जाना था। इनके लिए चयन प्रक्रिया

रिक्तियों को वर्षवार आयोजित नहीं किया गया था और तीनों वर्षों के रिक्तियों को एक साथ जोड़ा गया था। 80 प्रतिशत वरिष्ठता-सह-योग्यता रिक्तियों के लिए नियुक्ति आदेश 2012 में जारी

किए गए थे, जबकि 20 प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा रिक्तियों के लिए 31 मार्च 2014 को जारी किए गए थे।

(iii) मूल रूप से, 7 पर अस्थायी सूची तैयार करते समय

नवंबर 2013 में, वरिष्ठता सह-योग्यता द्वारा नियुक्त एल. आर. आई. को एल. आर. आई. के रूप में नियुक्ति की तारीख के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की गई थी और उन्हें रिक्ति के वर्ष के आधार पर वरिष्ठता की अनुमति नहीं दी गई थी।

(iv) रिक्ति के वर्ष के आधार पर वरिष्ठता का अधिकार 1972 के नियमों और [2019] 11 एस. सी. आर. के प्रावधानों से वैधानिक रूप से प्रवाहित होता है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

2001 नियम। इन नियमों में 'मानित नियुक्ति' का प्रावधान है।

'कार्यपालन/अनुभव की मानित तिथि' और इसके लिए

वरिष्ठता-सह-योग्यता पदोन्नति ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की। उन्हें रिक्ति के वर्ष के आधार पर वरिष्ठता का लाभ दिया। राजस्थान राज्य ने न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार कर लिया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त पदोन्नतियां थीं:

2016 में तैयार की गई वरिष्ठता की अंतिम सूची में, उस वर्ष के आधार पर वरिष्ठता दी गई जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई थी;

हालाँकि, अपीलार्थियों को उस लाभ से वंचित कर दिया गया था, जिस पर उन्होंने 4 सितंबर 2015 को बोर्ड के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उन्होंने उस वर्ष के आधार पर वरिष्ठता की गणना में संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का दावा किया था जिसमें उनके रिक्त स्थान उत्पन्न हुए थे।

अपीलार्थियों को पहले एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया था

उच्च न्यायालय जिसमें निम्नलिखित मुद्दे उत्पन्न हुए

विचार:

A. वरिष्ठता-सह-योग्यता और प्रतियोगी परीक्षा द्वारा रिक्तियों को भरना या नहीं, दोनों के उपसमुच्चय हैं -

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति; और

यदि 'क' का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या अपीलार्थी भी उस वर्ष से पदोन्नति के हकदार हैं जिसमें परस्पर बातचीत के कारण रिक्तियां उत्पन्न हुईं। 1957 के नियमों, 2001 के नियमों और नियमों के बीच

1972 का "।

नियम 284 के तहत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति भी पदोन्नति का एक तरीका है। इस स्थिति को विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और खंड पीठ द्वारा नियम 284 के प्रावधानों का विश्लेषण करने पर अपील में स्वीकार किया गया था।

तीन अलग-अलग अवसरों पर, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस स्थिति को स्वीकार किया कि सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 20 प्रतिशत रिक्तियों के मामले में चयन पदोन्नति का एक तरीका है। 1957, 1960 (2001 के नियमों द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित) और 1972 के नियमों के बीच परस्पर क्रिया के संबंध में, जी. ए. विशन गुजराती बनाम।

राजस्थान राज्य के डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एकल न्यायाधीश ने सही निर्णय दिया कि 1957 के नियम ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान नहीं करते हैं जहां नियम 284 के तहत चयन किए जाते हैं। जिस वर्ष रिक्तियां उत्पन्न हुईं, उस वर्ष आयोजित नहीं की जाती हैं। 1960 और 1972 के नियमों को लागू करके ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए नियम 347-ए और 347-बी पेश किए गए थे।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि नियम के बाद से

347 - बी एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होता है, किसी अन्य नियम से एक सिद्धांत को शामिल करने का सवाल नहीं होगा।

यह तब उत्पन्न होता है जब उस विषय पर मूल नियम लागू होता है। डिवीजन बेंच का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है क्योंकि: (क) नियम 347-ख 1972 के नियमों को शामिल करने के बारे में लाया गया जिसके परिणामस्वरूप बाद वाले को प्रभाव देना होगा, भले ही 1957 के नियमों के साथ कोई विसंगति हो;

(ख) 1957 के नियम रिक्तियों के निर्धारण और वर्षवार पदोन्नति के आयोजन पर चुप हैं;

(ग) 1972 के नियमों ने वर्षवार रिक्तियों को निर्धारित करने और वर्षवार पदोन्नति आयोजित करने की बाध्यता शुरू की। जहां नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करने के लिए अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा है, उसे इसके लिए एक आदेश जारी करना होगा

उस तारीख से मानी गई नियुक्ति जिस दिन रिक्ति उत्पन्न हुई थी। चयन, जब आयोजित किया जाएगा,

उस वर्ष के संदर्भ में जिसमें रिक्तियां हैं

उभरा; और

(घ) 2001 के नियमों ने एक काल्पनिक कल्पना की शुरुआत की

जिस तारीख से सेवा/अनुभव

रिक्तता आ गई।

1957 के नियम सेवा की उपरोक्त शर्तों के संबंध में मौन हैं और इसलिए, कानूनी को पूरा प्रभाव देना होगा।

नियम 347-ए और 347-बी के परिणामस्वरूप काल्पनिक। कानूनी कल्पना बनाने में नियम बनाने वाले प्राधिकरण का उद्देश्य है

सरकार रिक्तियों और नियुक्तियों का वर्षवार निर्धारण करने के अपने दायित्वों को पूरा करेगी; काल्पनिक कल्पना के परिणामस्वरूप, व्यक्तियों को बढ़ावा दिया गया

देर से, पहले की तारीख, [2019] 11 एस. सी. आर. के नियुक्त व्यक्ति माने जाते हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण और राज्य सरकार दोनों ने पाया कि नियम 347-ए और नियम 347-बी के आधार पर, एल. आर. आई. के पद अपनी वरिष्ठता की गणना करने के हकदार हैं और रिक्तता होने की तारीख से वरिष्ठता और अनुभव का लाभ प्राप्त करते हैं। राज्य पदोन्नति की दो अलग-अलग धाराओं के लिए अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकता है

क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का विध्वंसक होगा;

पर और अंतिमता प्राप्त की। कानून के नियमों के अनुसार अपीलकर्ताओं को लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नियम 347-ए और 347-बी का उद्देश्य राज्य भर में अधीनस्थ कर्मचारियों के सभी सदस्यों के लिए सेवा की शर्तों में एकरूपता लाना है। याचिकाकर्ता नहीं कर सकते हैं

2001 के नियमों के लाभ से वंचित किया जाए;

1972 और 2001 के नियमों के लाभ से उन्हें वंचित करने से अपीलार्थियों के अधिकार इस पर निर्भर होंगे - उस तारीख की आकस्मिक घटना जिस पर चयन किया गया था

प्रक्रिया आयोजित की गई थी; और

ओ राज्य धारण न करने के परिणाम से बच नहीं सकता है

समय पर चयन और अंत में वर्षों तक देरी।

उपरोक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करते हुए, राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान डॉ. मनीष सिंघवी ने प्रस्तुत किया:

1972 के नियमों को 1957 के नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। 1972 के नियम डी. पी. सी. का संदर्भ देते हैं। डी. पी. सी. की अवधारणा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की गई पदोन्नति पर लागू होती है और इसकी तुलना जी. ए. विशन गुजराती बनाम के साथ नहीं की जा सकती है।

राजस्थान राज्य के डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रतियोगी परीक्षाएँ। पात्र व्यक्तियों या डी. पी. सी. द्वारा किसी विशेष वर्ष में जिन लोगों की सिफारिश की जाती है, उनके अधिकारों को स्पष्ट किया जाता है। 1972 का महत्व

नियम यह है कि डी. पी. सी. बुलाने में देरी से उन व्यक्तियों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो अन्यथा अपने वैध अधिकारों के पात्र हैं। इसके विपरीत, एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन है

अनिश्चित। रिक्तियों के वर्ष का प्रतियोगी परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। नतीजतन, रिक्ति के वर्ष से संबंधित काल्पनिक कथा व्यक्तियों तक ही सीमित है।

जिनके अधिकार उस वर्ष स्पष्ट हो गए हैं जब डी. पी. सी.

यह आवश्यक था कि इसका आयोजन किया गया हो और इसका विस्तार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए व्यक्तियों तक नहीं होगा। यहां तक कि 2013 के पदोन्नतियों को भी पर्याप्त राशि दी गई है।

नियुक्तियों की तारीख से और से नहीं

रिक्ति का वर्ष;

2001 के नियम निम्नलिखित कारणों से लागू नहीं होते हैं:

(क) 2001 के नियम स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते हैं कि 1960

नियम निरस्त कर दिए गए हैं;

(ख) 2001 के नियम सामान्य प्रकृति के नहीं हैं जो नियम 347-ए की प्रविष्टि 7 के दायरे में आते हैं। 2001 के नियम अनुसूची में निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू होते हैं और निरीक्षकों/नायब तहसीलदारों/पटवारियों के पद अनुसूची में निर्दिष्ट पदों का हिस्सा नहीं हैं। द.

2001 नियम केवल अवशिष्ट संवर्गों/सेवाओं को शामिल करने के लिए हैं जो पहले से ही राज्य द्वारा कवर नहीं किए गए हैं।

अधीनस्थ सेवाएँ;

(ग) 1960 के नियमों और 2001 के नियमों को निरस्त कर दिया गया है।

सामान्य प्रावधान करने वाले नियम नहीं कहा जा सकता है

सेवा की शर्तें;

(घ) 2001 के नियम नियमित/राज्य/अधीनस्थ/मंत्रिस्तरीय सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं जो शासित हैं।

अपने नियमों से। निरस्त 1960 के नियमों के नियम 4 (जी) में सभी पद शामिल थे और इसके तहत पद शामिल थे - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 1 2. सी. सी. ए. नियम 1958 में शामिल हैं।

1958 "[2019] 11 एस.

सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अधीनस्थ/राज्य सेवाओं में सभी नियुक्तियाँ। द.

2001 नियम विशिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित हैं।

अनुसूची में उल्लिखित; और

(ई) भले ही 2001 के नियम लागू हों, उन नियमों की योजना एक प्रतियोगी परीक्षा को पदोन्नति की एक विधि के रूप में नहीं मानती है। 2001 के नियमों का भाग IV प्रत्यक्ष भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित है।

अपीलार्थी पूर्ववर्ती तिथि से वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। नियम 347-ए 1957 के नियमों में निहित प्रावधानों के अधीन है और इसलिए, यदि किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, तो 1960 और 2001 के नियम लागू नहीं होंगे। नियम 171-ए जिसमें निरंतर कार्यपालन के आधार पर वरिष्ठता के लिए भौतिक समय पर प्रावधान किया गया था मैदान।

नियम 171-ए में संशोधन, जिसने "निरंतर कार्यपालन" शब्द को "पदोन्नति का भर्ती वर्ष" अभिव्यक्ति से बदल दिया, अक्टूबर 2014 में प्रभावी हुआ, जबकि वर्तमान विवाद 2012-13 से संबंधित है। निरंतरता

कार्यपालन वास्तव में पद पर काम करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है।

और किसी अनुभव या वरिष्ठता के पूर्वव्यापी दावे की अवधारणा को शामिल नहीं कर सकते। राज्य सरकार ने पदोन्नति पाने वालों के साथ भी वरिष्ठता के आधार पर व्यवहार किया है सह-नियुक्ति की तारीख से योग्यता। अक्टूबर 2014 में नियम 171-ए में संशोधन के बाद ही स्थिति बदल गई है।

वर्षवार रिक्तियों को निर्धारित करने की आवश्यकता अपने आप में रिक्तियों की तारीख से वरिष्ठता प्रदान करने का कारण नहीं बनती है। यदि राज्य अनुचित अवधि के लिए भर्ती के एक स्रोत की अनदेखी करता है या यदि उसकी कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, तो अदालत भर्ती के उपेक्षित स्रोत से भर्ती करने के लिए अनिवार्य रिट जारी कर सकती है। जगदीश सी. एच. में यही स्थिति थी। पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य 1 3 ("जगदीश")

च. पटनायक ")। वर्तमान मामले में, कोई दुर्भावना नहीं है

सी. सी. 456 जी. ए. विशन गुजराती बनाम। राजस्थान राज्य के डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आग्रह किया गया और राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए तीन साल के लिए रिक्तियों को एक साथ जोड़ा; और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 से निकले सेवा न्यायशास्त्र में प्रावधान है कि वरिष्ठता की गणना मूल नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए। हालाँकि, यदि कोई वैधानिक नियम ऐसा प्रदान करता है, तो इसकी गणना की जा सकती है।

एक पूर्वव्यापी तिथि से। का पूर्वव्यापी संचालन

हालाँकि, वरिष्ठता को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति तक ही सीमित रखना होगा और इसका विस्तार प्रतियोगी परीक्षाओं तक नहीं किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को पूर्वव्यापी तिथि से वरिष्ठता नहीं दी जा सकती क्योंकि वे कैडर में नहीं होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के स्रोत से लिए गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा और पुष्टि से गुजरने के बाद मूल नियुक्ति की तारीख से कैडर पर जन्म दिया जाता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों का चयन पटवारियों से खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा किया गया था

एल. आर. आई. के पद के लिए। यदि रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख से पूर्वव्यापी वरिष्ठता दी जानी थी, तो यह ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां एक व्यक्ति जो रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख को परीक्षा देने के लिए योग्य नहीं है वरिष्ठता मिलेगी। वर्तमान मामले में, कुछ व्यक्तियों को फीडर से विभागीय परीक्षाओं द्वारा भर्ती किया गया था

कैडर। वैधानिक नियमों में रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख से पूर्वव्यापी वरिष्ठता की परिकल्पना नहीं की गई थी। द.

वरिष्ठता प्रदान करना मौलिक अधिकार का एक पहलू नहीं है। इसलिए, किसी व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले को वरिष्ठता दी जाती है

मूल नियुक्ति की तिथि।

राजस्थान की ओर से अनुरोध किए गए निवेदनों का समर्थन करते हुए, श्री पी. एन. मिश्रा और श्री मनोज स्वरूप ने चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होना सीखा।

1957 के नियमों के नियम 284 के खंड (i) और (ii) के तहत भर्ती दो अलग-अलग धाराओं से होती है: खंड (i) वरिष्ठता-सह-योग्यता का प्रावधान करता है, जबकि खंड (ii) एक

प्रतियोगी विभागीय परीक्षा। याचिकाकर्ता हैं

नियम 284 (ii) द्वारा शासित और केवल सेवारत पटवारियों में से वे जो नियम [2019] 11 एस. सी. आर. के तहत योग्यता प्राप्त करते हैं और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

286 नियम 286-287 के अनुसार आयोजित एक खुली प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ऐसे व्यक्तियों को परिवीक्षा से गुजरना पड़ता है। नियम 298 (iii) निर्दिष्ट करता है कि डिप्लोमा प्राप्त करने वाले व्यक्ति तुरंत नियुक्ति के हकदार नहीं हैं क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर रिक्तियां होने पर नियुक्ति दी जा सकती है।

नियम 171-ए (2) में निरंतर कार्यपालन के मानदंड शामिल हैं। निजी उत्तरदाता नियम द्वारा शासित होते हैं।

284 ((i)। उन्हें 2012-13 में डी. पी. सी. का सामना करना पड़ा और उनके लिए भर्ती वर्ष 1 अप्रैल 2013 था। निजी उत्तरदाता रिक्ति के वर्ष से वरिष्ठता का दावा नहीं कर रहे हैं। हालाँकि उनमें से कुछ के लिए डी. पी. सी. 2009-10 थी, लेकिन एल. आर. आई. के रूप में शामिल होने की उनकी तारीख वर्ष 2013 में थी जिसके परिणामस्वरूप उन्हें केवल 1 अप्रैल 2013 से ही पदोन्नति दी गई थी।

1957 के नियमों का नियम 347-ए "इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर" अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है। 2001 के नियमों के नियम 7 में तीन स्रोत दिए गए हैं -

भर्ती अर्थात्-(i) प्रत्यक्ष भर्ती; (ii) पदोन्नति; और (iii) स्थानांतरण। 2001 के नियमों का अध्याय 5 पदोन्नति की प्रक्रिया से संबंधित है। 2001 के नियम डी. पी. सी. के आधार पर पदोन्नति प्रदान करते हैं और सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा उम्मीदवारों के चयन पर विचार नहीं करते हैं। 2001 के नियम नियुक्त एल. आर. आई. पर लागू नहीं होंगे।

1957 के नियमों के तहत और वरिष्ठता नियम 171-ए के तहत तय की जानी है।

1972 के नियम डी. पी. सी. की सिफारिश पर की गई पदोन्नति पर लागू होते हैं, इसलिए यदि नियमों को पूरी तरह से समझा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि वे नियम डी. पी. सी. की सिफारिश पर की गई पदोन्नति पर लागू होते हैं, न कि किसी विभाग के आधार पर चुने गए लोगों पर।

जाँच;

अपीलार्थी उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते जिस दिन वे संवर्ग में पैदा नहीं हुए थे। अपीलार्थी 2011 और 2013 में जारी विज्ञापनों के लिए 2013 में प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित हुए थे। वे वरिष्ठता का दावा करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे वैकेंसी के वर्ष से ऐसा करना चाहते हैं; और गंगा विशन गुजराती v.

(vi) यह अच्छी तरह से तय है कि पदोन्नति पदोन्नति की तारीख से प्रभावी होती है न कि घटना की तारीख से।

रिक्ति या पद का सृजन।

उपरोक्त दलीलों को अन्य वकीलों द्वारा दोहराया गया है। अब हम प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

21. 1957 के नियमों के भाग IV में पटवारियों और कानूनगो के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय का प्रावधान है। भाग IV में शामिल अध्यायों में से हैं -

अध्याय III जो पटवार स्कूल में उम्मीदवारों के प्रवेश, प्रशिक्षण और परीक्षा से संबंधित है। 1957 के नियमों के नियम 284 में दो स्रोतों से विद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार किया गया है। खंड (i) में शामिल पहला, वरिष्ठता-सह-योग्यता के माध्यम से राजस्व और भूमि अभिलेख विभागों के पटवारियों की पदोन्नति है। खंड (ii) में दूसरा स्रोत एक प्रतियोगी परीक्षा है जो राजस्व (भूमि अभिलेख) के पटवारियों की सेवा करने तक सीमित है।

विभाग जो नियम 286 में पात्रता की शर्तों को पूरा करता है। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोटा 80 प्रतिशत है, जबकि प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत है। चयन के इच्छुक उम्मीदवारों को नियम 286 में चयन के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा। पात्रता की आवश्यकताएं अनिवार्य हैं, अन्य बातों के अलावा कि उम्मीदवार के पास पटवारियों के रूप में पांच साल का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, एक उम्मीदवार को प्रशिक्षण विद्यालय का डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा और सफल उम्मीदवारों की एक सूची वरिष्ठता के क्रम में रखी जाएगी।

अंक प्राप्त किए। डिप्लोमा का अनुदान किसी उम्मीदवार को तत्काल नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता है, लेकिन उम्मीदवार को वरिष्ठता के आधार पर रिक्त होने पर विचार किए जाने के योग्य बनाता है। एक वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पूरी होने पर, उम्मीदवार नियम 299 के अनुसार पुष्टि के लिए पात्र होता है।

22. नियम 284 इंगित करता है कि चयन के दो स्रोत हैं जिनके आधार पर प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश किया जाता है अर्थात्: (i) पदोन्नति; और (ii) सेवाकालीन पटवारियों के लिए विभागीय परीक्षा। विभागीय परीक्षा, जैसा कि सेवा न्यायशास्त्र में वर्णित है, एक सीमित विभागीय परीक्षा है क्योंकि सेवा के भीतर के उम्मीदवार जो आवश्यक अनुभव के साथ पटवारियों के रूप में काम कर रहे हैं और जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, उन पर केवल नियम 284 (ii) के तहत विचार किया जा सकता है जिसे नियम 286 के साथ पढ़ा जा सकता है। नियम 284 (ii) स्पष्ट रूप से खुली सीधी भर्ती का स्रोत नहीं है क्योंकि केवल पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले सेवा में उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। नियम 284 का इतिहास इंगित करता है कि शुरू में [2019] 11 एस. सी. आर. थे।

1977 में सीधी भर्ती के लिए 50 प्रतिशत कोटा था जबकि शेष

यह वरिष्ठता-सह-योग्यता के लिए था। 1981 में, वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि 15 प्रतिशत सेवारत पटवारियों के बीच एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होना था। नतीजतन, सीधी भर्ती के लिए कोटा घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। 1985 में, सीधी भर्ती की विधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता सह-योग्यता पदोन्नति के लिए कोटा 80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था, जबकि शेष 20 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से था। यह इतिहास स्पष्ट है।

वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर कोटा (80 प्रतिशत) और सीमित विभाग परीक्षा (20 प्रतिशत) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए कोटा जो पटवारियों के रूप में सेवारत हैं। 23. अब, यह उपरोक्त संदर्भ में है कि एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच दोनों अपील में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि

परीक्षा जो फीडर श्रेणी से लिए गए उम्मीदवारों तक ही सीमित है, अनिवार्य रूप से त्वरित पदोन्नति का मामला होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया:

" ..... तथ्य यह है कि एक स्तर पर चयन/नियुक्ति के लिए तीन स्रोत थे, जिसमें यह शामिल था कि सीधी भर्ती, नियमित पदोन्नति और त्वरित पदोन्नति इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन को सीधी भर्ती के बराबर नहीं माना जा सकता है।

एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि 20 प्रतिशत का कोटा त्वरित पदोन्नति द्वारा भरा जाना है और केवल इसलिए कि एक प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा की परिकल्पना की गई है जो चयन की स्थिति को नहीं बदलती है। हालाँकि, धाराएँ अलग हैं, अनिवार्य रूप से, चयन पदोन्नति के माध्यम से होता है। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के इस विश्लेषण को स्वीकार करते हुए कहा:

" ..... केवल फीडर श्रेणी तक ही सीमित एक परीक्षा वरिष्ठता-सह-योग्यता द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित, इसलिए अनिवार्य रूप से चयन के माध्यम से पदोन्नति का मामला होगा या

विद्वान एकल न्यायाधीश के रूप में त्वरित पदोन्नति ने उचित रूप से सीधी भर्ती नहीं की है। "गंगा विशाण गुजराती बनाम।

राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

डिवीजन बेंच ने देखा कि 1957 के नियमों के नियम 299 (परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के संदर्भ में) में प्रावधान है कि

उसी वर्ष के पदोन्नत व्यक्ति सीधे भर्ती किए गए लोगों से वरिष्ठ होंगे

उसी वर्ष के पटवारियों की सेवा करते हुए। नियम 299 में केवल "प्रत्यक्ष भर्ती" शब्द का उपयोग स्रोत को प्रस्तुत करने के लिए नहीं किया गया था।

ऐसा दृष्टिकोण जिसे एकल न्यायाधीश और खंड पीठ दोनों ने अपनाया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग का भी यही निरंतर दृष्टिकोण है। इसलिए, हमारा मानना है कि नियम 284 (ii) के तहत सेवाकालीन पटवारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा एक साधन है - त्वरित पदोन्नति। नियम 284 में दो धाराओं के माध्यम से पदोन्नति द्वारा चयन का प्रावधान है: एक वरिष्ठता-सह-योग्यता द्वारा और दूसरा सेवाकालीन पटवारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर।

24. अब इस संदर्भ में मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया है

1957 के नियमों, विशेष रूप से 1960,1972 और 2001 के नियमों के साथ नियम 171-ए, 347-ए और 347-बी के बीच परस्पर क्रिया। 1957 के नियमों के नियम 347-ए और 347-बी को 22 पर संशोधन द्वारा पेश किया गया था।

सितंबर 1977। नियम 347-ए में कहा गया है कि वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों को नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर कई प्रविष्टियों में संशोधित किया गया है। इनमें सेवा की सामान्य शर्तों को निर्धारित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए अन्य नियम भी शामिल हैं। कार्मिक विभाग द्वारा 1960 के नियमों में कोई अन्य सामान्य आदेश या संशोधन उत्परिवर्तन को लागू करने के लिए है जब तक कि सरकार द्वारा इसके विपरीत कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है।

हालांकि, नियम 347-ए इंगित करता है कि गणना किए गए नियमों के प्रावधानों का प्रबल प्रभाव नहीं है क्योंकि शुरुआती शब्दों में "इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए गए वाक्यांश को छोड़कर" वाक्यांश होता है। जहां 1957 के नियमों में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, वह प्रबल होगा।

25. 1960 के नियम विभिन्न क्षेत्रों में अधीनस्थ सेवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करते थे।

विभागों को छोड़कर, जहां अलग सेवा नियम मौजूद थे। नियम 2 प्रदान किया गया:

" 2. दायरा. - ये नियम [2019] 11 एस. सी. आर. के अलावा विभिन्न विभागों में अधीनस्थ सेवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करेंगे।

जिन पदों के बारे में अलग-अलग सेवा नियम जारी किए गए हैं या भविष्य में जारी किए जा सकते हैं।

1960 के नियमों के नियम 9 में नियुक्ति प्राधिकरण को हर साल 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता थी। नियम 9 के तहत, जहां एक पद भरा जाता है

नियम या अनुसूची में निर्धारित एक से अधिक विधियाँ,

अपेक्षित अनुपात बनाए रखने के लिए ऐसी प्रत्येक विधि के लिए रिक्तियों का विभाजन किया जाना था। नियुक्ति प्राधिकारी का यह भी कर्तव्य था कि वह पहले के वर्षों की वर्षवार रिक्तियों को निर्धारित करे, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था, यदि ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की शुरुआत में निर्धारित और भरा नहीं गया था जिसमें उन्हें भरा जाना आवश्यक था। नियम 9 विशिष्ट शब्दों में एक वर्ष-वार पर विचार किया गया

रिक्तियों का निर्धारण, नियुक्ति के विभिन्न तरीकों के लिए रिक्तियों का आवंटन और पिछले वर्षों के रिक्तियों का निर्धारण जो संबंधित वर्ष में नहीं भरे गए थे। हालांकि, नियम 9, स्पष्ट शब्दों में, वरिष्ठता या पदोन्नति की मानित तिथि का प्रावधान नहीं करता है।

26. नियम 347-ए में विचार किया गया है कि सेवा की शर्तें गणना किए गए नियमों (1960 के नियमों सहित) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगी, जब तक कि 1957 के नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो। नियम 171 ए एक ऐसा प्रावधान था जिस पर नियम 347 ए के शुरुआती शब्दों में विचार किया गया था। जब तक कि अक्टूबर 2014 में इसमें संशोधन नहीं किया गया, तब तक नियम 171-ए (2) में विशेष रूप से विचार किया गया था कि एलआरआई की वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।

भूमि अभिलेख विभाग या किसी अन्य समकक्ष पद पर उनके निरंतर कार्यपालन की तारीख से बशर्ते कि ऐसा कार्यपालन

प्रकृति में आकस्मिक या तदर्थ नहीं था। संशोधन के बाद, नियम 171 ए में विचार किया गया है कि निरीक्षकों की वरिष्ठता पदोन्नति के भर्ती वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह संशोधन अक्टूबर 2014 में प्रभावी हुआ।

27. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पारस कुहाड़ ने अपनी इस दलील को उचित ठहराया है कि 1957 के नियमों में विशेष रूप से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। रिक्तियों का वर्षवार निर्धारण और ऐसा प्रावधान 1960 के नियमों में सन्निहित था। अनुक्रम को स्वीकार करने में कठिनाई (के रूप में)

विद्वान वकील ने इसे चित्रित किया) इस कथन में निहित है कि नियम 171-ए (2) ने अपने संशोधन से पहले एल. आर. आई. की वरिष्ठता निर्धारित करने के आधार के रूप में निरंतर कार्यपालन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से शामिल किया था। यह सिद्धांत, जो विशेष रूप से नियम 171-ए (2) में सन्निहित है, 1960 के नियमों में निहित इसके विपरीत किसी भी प्रावधान द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि नियम 347-ए में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गंगा विशाण गुजराती v.

राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]ई 1957 के नियमों में एक विशिष्ट प्रावधान निहित है, कि

सायन शासन करेगा।

28. 2 मार्च 2001 को 2001 के नियमों को अधिसूचित किया गया था

संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार। नियम 2 के दायरे को परिभाषित करता है001 नियमः

" 2. दायरा. - ये नियम नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में भर्ती और सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित करेंगे।

इसके अलावा विभिन्न विभागों में अधीनस्थ सेवा पद

जिन पदों के संबंध में अलग-अलग सेवा नियम बनाए गए हैं

भविष्य में घोषित या घोषित किया जा सकता है।

3 (ज) "सेवा का सदस्य" अभिव्यक्ति को परिभाषित करता हैः

" (ज) '। सेवा सदस्य 'से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जिसे किसी राज्य में नियुक्त किया गया हो।

इन नियमों या नियम 48 द्वारा प्रतिस्थापित नियमों या आदेशों के प्रावधानों के तहत सेवा में किसी पद के लिए पर्याप्त क्षमता और

इसमें एक परिवीक्षाधीन भी शामिल है।

6 सेवा के संविधान को परिभाषित करता हैः

" 6. सेवा का संविधान-सेवा में शामिल होंगे -

(ए) सभी व्यक्ति जो पर्याप्त रूप से पद (ओं) धारण करते हैं या भर्ती किए जाते हैं

अनुसूची में निर्दिष्ट अधीनस्थ सेवा पद या इन नियमों के प्रारंभ से पहले सरकार या नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश;

(ख) तत्काल अस्थायी सेवा को छोड़कर, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए सभी व्यक्ति।

नियुक्ति "।

7 भर्ती की विधि प्रदान करता हैः

" 7. भर्ती की विधिः - (1) इन नियमों में निहित प्रावधानों के अधीन, पद (पदों) पर भर्ती या नियुक्ति

सेवा में निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा

अनुसूची में दर्शाए गए अनुपातः

(i) निहित प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा

इन नियमों के भाग-IV में;

((ii) में निहित प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति द्वारा

इन नियमों का भाग-V; [2019] 11 एस. सी. आर.

((क) समतुल्य धारण करने वाले व्यक्तियों के बीच से हस्तांतरण द्वारा

बशर्ते कि यदि वह पद (पद) जिसमें स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है, आयोग के दायरे में आता है। ऐसे व्यक्ति को आयोग द्वारा पहले से ही इस तरह के समकक्ष पर अनुमोदित किया जाना चाहिए था। पोस्ट करें।

(ख) किसी भी संस्था से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त शर्त के साथ अपने कर्मचारियों को अवशोषित किया: ..... "

नियम 7 में भर्ती के तीन तरीकों पर विचार किया गया है, अर्थात्:

(i) भाग IV के संदर्भ में सीधी भर्ती;
((ii) भाग 5 के संदर्भ में पदोन्नति; और

((iii) स्थानांतरण।

पदोन्नति द्वारा भर्ती। नियम 13 में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के निर्धारण की आवश्यकता होती है। जहाँ एक पद को एक ही विधि से भरा जाता है, वहाँ रिक्तियां जैसा कि निर्धारित किया गया है, उस विधि से भरा जाएगा। जहां एक से अधिक तरीके निर्धारित किए गए हैं, रिक्तियों के विभाजन द्वारा पदों को भरा जाता है। नियम 35 उन पदोन्नति पर लागू होता है जो नियम 34 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती हैं। नियम 35 (6) समिति से उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने की अपेक्षा करता है जो उस वर्ष में पात्र होते जिसके लिए रिक्ति संबंधित है, चाहे समिति की बैठक किसी भी वर्ष में हो। इस तरह की पदोन्नति उस वर्ष में लागू मानदंड और प्रक्रिया द्वारा शासित होगी जिसमें रिक्ति संबंधित है और पदोन्नत किए गए पदधारी की सेवा/अनुभव को किसी भी अवधि के लिए उच्च पद पर पदोन्नति के लिए गिना जाएगा, जिसके दौरान उम्मीदवार ने वास्तव में पद के कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। जहाँ त्वरित पदोन्नति के लिए एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है, नियम 35 का कोई अनुप्रयोग नहीं है। 2001 के नियमों के भाग V में भर्ती की प्रक्रिया त्वरित पदोन्नति के लिए एक सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा से जुड़ी स्थिति को नहीं समझती है। नियम 48, जो निरसन और बचत प्रावधान है, निर्धारित करता है कि उन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित और नियमों के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू सभी नियमों और आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है।

2001 नियमों में एक अनुसूची होती है और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, नियम 6 (ए) में प्रावधान है कि सेवा में मूल धारक व्यक्ति शामिल होंगे।

अधीनस्थ सेवा पदों पर भर्ती किए गए पद या व्यक्ति या अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति, इसके अलावा इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए व्यक्ति

नियमों के प्रावधान।

30. 2001 के नियमों के भाग 5 से यह स्पष्ट है, विशेष रूप से, नियम 34 और 35 में निहित पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियम नियम 35 (6) में परिकल्पित कल्पना डी. पी. सी. के तत्वावधान में की गई पदोन्नति पर लागू होती है। इस तरह की पदोन्नति के मामले में, नियम 35 में कहा गया है कि नियम 34 के तहत गठित समिति को उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार करना चाहिए जो उस वर्ष के पात्र थे जिसमें रिक्ति संबंधित थी, भले ही उस वर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई हो। नियम 35 (6) के लिए अंतर्निहित तर्क यह है कि वर्षवार रिक्तियों के निर्धारण पर, अधिकारों को उस वर्ष के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। नतीजतन, डी. पी. सी. की ओर से अपनी बैठक बुलाने में देरी के परिणामस्वरूप उन उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए जो पदोन्नति के लिए पात्र थे और जिन्हें पदोन्नत किया जाना चाहिए था, लेकिन उस वर्ष के संदर्भ में विचार नहीं किया गया था जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई थी। नियम 35 (6) में यह सिद्धांत एक की प्रकृति में है

नियम 286 में निर्धारित पात्रता। नियम 286 में कहा गया है कि सेवा में तैनात पटवारियों के पास नियम 284 (ii) के तहत प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से पहले न्यूनतम पांच साल की सेवा होनी चाहिए। मानित वरिष्ठता के सम्मेलन के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक उम्मीदवार एक पूर्व तिथि से वरिष्ठता प्राप्त करता है जिस पर वह न तो संवर्ग में पैदा हुआ था और न ही योग्य था। कम से कम एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के अभाव में ऐसा परिणाम अस्वीकार्य होगा। उस प्रभाव के लिए।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. इस न्यायालय की एक सुसंगत मिसाल इस सिद्धांत का पालन करती है कि किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है।

एक ही श्रेणी के सदस्यों की गिनती श्रेणी में प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से की जानी चाहिए। यह सिद्धांत प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय से उभरता है। इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 4. द.

इस न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम अखौरी सचिंद्र नाथ 1515 और उत्तरांचल राज्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा 1 मामले में इस सिद्धांत को दोहराया था। पवन प्रताप सिंह बनाम रीवन सिंह में, यह न्यायालय

इस विषय पर पूर्ववर्ती बातों पर फिर से विचार किया और कहा:

" 45 ..... (i) चयन की प्रभावी तिथि को सेवा नियमों के संदर्भ में समझना होगा जिसके तहत नियुक्ति की जाती है। इसका अर्थ वह तिथि हो सकती है जिस दिन चयन की प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने के साथ शुरू होती है या

जैसा भी मामला हो, चयन सूची तैयार करना।

((ii) किसी विशेष सेवा में वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या दूसरे के बीच या अधिकारियों के एक समूह और दूसरे के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है। स्रोतों। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा से कोई भी विचलन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16।

(iii) आम तौर पर, पिछली तारीख से काल्पनिक वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए।

विचार और एक वैध वर्गीकरण पर और वैधानिक नियमों के अनुसार पता लगाया जाना चाहिए।

(iv) वरिष्ठता की गणना रिक्ति होने की तारीख से नहीं की जा सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठता पूर्वव्यापी आधार पर नहीं दी जा सकती है जब कोई कर्मचारी संवर्ग में पैदा भी नहीं हुआ है और ऐसा करने से यह हो सकता है

1 4 (1990) 2 एस. सी. सी. 715 15 1991 अनुपूरक (1) एस. सी. सी. 334 16 (2007) 1 एस. सी. सी. 683

17 1 7 (2011) 3 एस. सी. सी. 267 गंगा विशाण गुजराती बनाम।

राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

वैध रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इस बीच "।

पी सुधाकर राव बनाम यू गोविंदा राव मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार की पुष्टि की है।

32. सुनवाई के दौरान, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा जताया।

2001 के नियमों के नियम 35 (6)। 1979 के नियमों के तहत, 50 प्रतिशत रिक्तियों को सीधी भर्ती के लिए आवंटित किया गया था और 50 प्रतिशत के लिए पदोन्नति। इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि 1979 के नियमों में उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए योग्यता को मानदंड माना गया है। 1983-84 से 1993-94 तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। योग्यता परीक्षा आयोजित करने में देरी के सवाल का सामना करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

राजस्थान परिवहन से एक प्रतिनिधित्व था निरीक्षक संघ, इसे दस साल से अधिक समय तक परीक्षा आयोजित नहीं करने और उन उम्मीदवारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए पर्याप्त कारण या कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है जो परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से मेधावी हो सकते हैं और

18 (2013) 8 एस. सी. सी. 693

19 (2011) 7 एस. सी. सी. 789

20 " डीटीओ "

1979 नियम "[2019] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पदोन्नति कोटे के तहत 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया। यह खेद का विषय है कि एक सरकार कानून की अदालत के समक्ष इस तरह का रुख अपना सकती है और अदालत से इस तरह के निवेदन को स्वीकार करने की उम्मीद करती है। यह प्रत्यक्षतः असमर्थनीय है। एक बार नियम स्पष्ट हो जाने के बाद, संबंधित प्राधिकारी से इसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है -

कानून को पराजित करने के लिए नहीं। जो अपने अनुचित और अस्थिर कृत्यों से कानून को हरा देता है, वह इस तरह के चूक के परिणामों के लिए उत्तरदायी होता है। हम यह समझने में विफल हैं कि सरकार और उसके पूरे पदानुक्रम ने इतने लंबे समय तक वैधानिक नियमों के इस घोर उल्लंघन पर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थीं।

चयन प्रक्रिया को वैधानिक नियमों का उल्लंघन माना गया। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने प्रक्रिया में अवैधता को देखते हुए, चयन की एक नई प्रक्रिया आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए।

33. जगदीश प्रसाद एक ऐसा निर्णय है जो ऐसी स्थिति में दिया गया है जहां 1979 के नियम परिवहन विभाग पर लागू होते हैं।

उन व्यक्तियों की पदोन्नति के मामले पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है जो उस वर्ष में पात्र हैं जिससे रिक्ति संबंधित है और

अस्थिर क्योंकि यह कानून को हराने के लिए बनाया गया था। वर्तमान मामले में यह विशिष्टता अनुपस्थित है। 34. वर्तमान मामले में, हमने वरिष्ठता के सिद्धांत को निर्धारित करने के संदर्भ में 1960 के नियमों की प्रयोज्यता के मुद्दे पर विचार किया है। हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि नियम 347-ए के प्रारंभिक शब्दों को ध्यान में रखते हुए, 1960 के नियमों में निहित प्रावधानों को नियम 171-ए (2) के अधीन होना होगा जो निरंतर कार्यपालन के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रावधान करता है। नियम 171 ए (2) के बावजूद, जैसा कि यह संशोधन से पहले था, रिक्ति के वर्ष के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक मानित तिथि लागू करना संभव नहीं है। नियम 171

ए (2) किसी पूर्ववर्ती तिथि से वरिष्ठता के अनुदान को खारिज करता है।

जिस तारीख को कर्मचारी का जन्म संवर्ग में होता है। 35. लेकिन अब जिस प्रस्तुति का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या नियम 347-बी के लागू होने से कोई अलग परिणाम सामने आएगा।

1957 नियम। नियम 347-बी, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, एक गैर-गंगा विशाण गुजराती v के साथ प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अवरोधक प्रावधान। नतीजतन, सेवा की शर्तें जो नियम 347-बी की प्रविष्टियों में निर्दिष्ट नियमों द्वारा शासित होती हैं, वे 1957 के नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद शासित होंगी। उनमें से 1972 के नियमों से संबंधित एक प्रविष्टि है। इसलिए, 1972 के नियमों की प्रयोज्यता पर विचार करना आवश्यक है। नियम 2 एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत की गई भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले सेवा नियम सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा भर्ती का प्रावधान करते हैं। जहां डी. पी. सी. की अनुपस्थिति के कारण पिछले वर्ष का पदोन्नति कोटा नहीं भरा जा सकता है। सिफारिश, नियुक्ति प्राधिकरण को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए आवश्यक रिक्तियों की संख्या निर्धारित करनी है

वर्ष जब रिक्तियों को भरने की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रिक्तियों के निर्धारण पर, डी. पी. सी. को एक निर्धारित अवधि के भीतर बुलाना आवश्यक है। डी. पी. सी. की सिफारिशों पर, नियुक्ति प्राधिकारी को संबंधित वर्ष के लिए प्रासंगिक पदोन्नति कोटा रिक्तियों पर नियुक्तियां करनी चाहिए। जहां कोई रिक्ति उस वर्ष की तुलना में एक वर्ष पहले से संबंधित है जिसमें नियुक्ति की गई है, तो नियुक्ति के क्रम को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि उस वर्ष से प्रभावी हो सके जिसमें पदोन्नति की गई मानी जाती है। 1972 के नियमों के एक सादे अध्ययन से संकेत मिलता है कि वे एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करते हैं जहां भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है और डी. पी. सी. की सिफारिश के अभाव में पदोन्नति कोटा नहीं भरा जाता है। 1972 के नियमों का नियम 2 अपनी शर्तों पर वर्तमान जैसी स्थिति पर लागू नहीं होता है जो 1957 के नियमों के नियम 284 द्वारा शासित है। नियम 284 के तहत, कोई सीधी भर्ती नहीं है। 1972 के नियमों का नियम 2 ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां भर्ती को विनियमित करने वाला एक सेवा नियम "सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा भर्ती का प्रावधान करता है"। वर्तमान मामले में, 1957 के नियमों का नियम 284 उस श्रेणी में आने वाला प्रावधान नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति द्वारा भर्ती की आवश्यकता वाले सेवा नियम का अभाव है। 1972 के नियम लागू नहीं होते हैं। नियम

347 - इसलिए 1957 के नियमों का बी अपीलार्थियों की सहायता के लिए नहीं आएगा।

36. स्थिति, जैसा कि हमने देखा है, नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा बदल दी गई है जिसने नियम 171 में निहित प्रावधानों में संशोधन किया है।

1957 के नियमों का ए (2)। संशोधन के परिणामस्वरूप, उप-नियम (2) को 8 अक्टूबर 2014 से प्रतिस्थापित किया गया। पोस्ट

संशोधन, एल. आर. आई. की वरिष्ठता पदोन्नति के भर्ती वर्ष के आधार पर निर्धारित की जानी है। निरंतर कार्यपालन का प्रावधान [2019] 11 एस. सी. आर.

जैसा कि संशोधन से पहले नियम 171-ए (2) में सन्निहित था, इसके विपरीत था।

8 अक्टूबर 2014 को संशोधित किए गए नियमों में जानबूझकर परिवर्तन किया गया है। हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि संशोधन स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था। वर्तमान मामला नियम 171-ए (2) के संशोधन से पहले की गई कवायद से संबंधित है।

37. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित थी, हालांकि उन कारणों के लिए जो हमने संकेत दिए हैं, कि वरिष्ठता का दावा केवल इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं होगा कि उन वर्षों में कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी जिनमें रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों के अनुरूप है और वैधानिक नियमों के अनुरूप है क्योंकि वे उस समय इस क्षेत्र में थे।

38. उपरोक्त कारणों से, हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान